न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम राक्षी तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 54**/2017**

अनवान

1 गोपाल पिता लादु कुमावत निवासी राक्षी तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

.... वादी

बनाम

1 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0

..... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– **श्री गोपाल पिता लादु कुमावत........... वादी**

–:: निर्णय ::–

दिनांक 05.07.2017

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके राक्षी पटवार हल्का क्षैत्र राक्षी तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 136 के आराजी संख्या 1316, 1319 कुल किता 02 कुल रकबा 0–13 बीघा भूमि गोपीलाल जगरूप अम्बालाल पिता लादु एजन बेवा लादु जेती रतनी भागुती पुत्री पोखर 2/3 काना सोहन नारा रामा रामकरण पिता गणेश राजु पिता देवा 1/3 कुमावत सा देह खातेदार तथा खतौनी संख्या 137 के आराजी संख्या 748, 749, 750, 751, 752, 754, 755, 756, 757, 758, 1152, 1305, 1307, 1308, 1641, 1645/1 कुल किता 16 कुल रकबा 15–19 बीघा भूमि राजस्व रेकार्ड में सयुंक्त रूप से दर्ज चली आ रही है । जिसमे वादी के पिता लादु कुमावत की मृत्यूपंरान्त नारान्तकरण खोला गया जिसमें वादी का नाम गोपाल पिता लादु कुमावत के स्थान पर गोपीलाल पिता लादु कुमावत दर्ज कर दिया गया। जबकी वादग्रस्त आराजीयात पैत्रक होकर दादा के जीवन काल से ही काबिज है एव वर्तमान में वादी उक्त आराजीयात पर उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। अतः वादी का नाम गोपाल पिता लादु कुमावत के स्थान पर गोपीलाल पिता लादु कुमावत सह खातेदार राजस्व रेकार्ड में हुए त्रूटीपूर्ण अंकन को दुरूस्त किये जाने की डिक्री सादर फरमाई जावें।

2. प्रकरण को दिनांक 05.07.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प शिविर राक्षी के लिए पंजीबद्ध कर दर्ज रजिस्टर किया गया। लोक अदालत शिविर के दौरान ही दिनांक 05.07.2017 को वादी गोपाल कुमावत के वादपत्र के समर्थन में शिविर मे उपस्थित मौतबिरान तेजमल पिता छाईलाल कुमावत व शकंरलाल पिता देबीलाल कुमावत निवासी राक्षी के बयान कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। वादपत्र के अन्तिम निपटारे के लिए वादी एंव प्रतिवादी राज्यपक्ष तहसीलदार बनेडा उपस्थित होकर वादपत्र स्वीकार किये जाने बाबत अपनी सहमति व्यक्त की।

3. उक्त प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, एंव कलमबद्ध बयानो एवं वादपत्र का अध्ययन एवं मनन उपरान्त वादी द्वारा वादपत्र के साथ फोटो पहचान पत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड की प्रति आदि रेकार्ड, से यह प्रमाणित होता है कि वादी का नाम गोपाल पिता लादु कुमावत है। तथा शिविर में उपस्थित संरपंच ग्राम पंचायत राक्षी की रिपोर्ट से भी इसकी पुष्टी होती है। लिहाजा वादी का वाद पत्र मेरिट व परिक्षण से लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

वादी का वादपत्र प्रतिवादी की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके बनेडा पटवार हल्का क्षैत्र बनेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 136 के आराजी संख्या 1316, 1319 कुल किता 02 कुल रकबा 0–13 बीघा तथा खतौनी संख्या 137 के आराजी संख्या 748, 749, 750, 751, 752, 754, 755, 756, 757, 758, 1152, 1305, 1307, 1308, 1641, 1645/1 कुल किता 16 कुल रकबा 15–19 बीघा राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम गोपीलाल पिता लादु कुमावत के स्थान पर गोपाल पिता लादु कुमावत सह खातेदार दुरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। अन्तिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बनेडा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा